

## कार्यवृत्त

बुधवार, 20 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1940  
( दिनांक : 05 दिसम्बर, 2018 )

खण्ड-52

अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिए गये।

प्रश्नकाल के मध्य ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के मा0 सदस्य श्री करन माहरा जो कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता भी हैं, आज जब सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे थे, तो उन्हें गेट पर रोका गया है। मा0 विधायकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार सर्वथा अनुचित है और वे इसका विरोध करती हैं और उनकी पार्टी के मा0 विधायक इसके विरोध में बाहर गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही के समय मा0 विधायक को सदन के अन्दर नहीं आने दे रहे हैं। ऐसी क्या कठिनाई आ गयी है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं मा0 सदस्य श्री करन माहरा के पास जाकर अन्दर आने का अनुरोध किया परन्तु वे मान नहीं रहे हैं। श्री अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी अभी जानकारी मिली है। परम्परानुसार जो भी मा0 विधायक अनुमन्य गाड़ी में आयेंगे उन्हें विधान सभा में प्रवेश की अनुमति है। सम्भवतः यह दूसरा कोई वाहन है जिस कारण उन्हें रोका होगा, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी है कि वे जिस भी गाड़ी से अन्दर आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाये। मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आई कार्ड के आधार पर मा0 विधायकों को किसी भी गाड़ी से विधान सभा भवन में अन्दर आने की अनुमति होनी चाहिए। मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने भी कहा कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार मा0 सदस्यों के साथ एक दो व्यक्ति अन्दर आ सकते थे, उस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाये।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मा0 विधायक को बाहर रोक देने से उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है। यह अत्यन्त गम्भीर और अपमानजनक विषय है। तदुपरान्त नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। इस पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में मा0 विधायकों का सदन में प्रतिभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और जब तक कांग्रेस के मा0 सदस्य सदन में नहीं आते हैं, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये। मा0 विधायकों को पूर्ण आदर सम्मान मिलना ही चाहिए। श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि जो मा0 सदस्य विरोध स्वरूप धरने पर बैठे हैं उन्हें समझा-बुझा कर सदन में लाने का प्रयास किया जाय।

प्रश्नकाल के मध्य ही मा0 सदस्य श्री खजान दास द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 के दो अलग-अलग उत्तर प्राप्त होने पर मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मा0 सदस्य को लिखित उत्तर की एक प्रति उसके आवास में भी उपलब्ध करायी जाती है और एक प्रति सदन में उपलब्ध करायी जाती है। इनमें दो अलग-अलग उत्तर नहीं हो सकते हैं। श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो उत्तर सदन में उपलब्ध कराया जाता है वह प्रमाणित माना जायें।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार वे मा0 नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अन्य सदस्यों से मिलने गये थे, जिन्होंने अवगत कराया कि मा0 सदस्य श्री करन माहरा जब विधान सभा गेट से अन्दर आ रहे थे तब उनके साथ अभद्रता हुई है। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने तथा सी0सी0टीवी0 फुटेज देखने के लिए निर्देशित किया है और मा0 विधायकों की बात का संज्ञान

लेते हुए आरोपित पुलिस कर्मी को तत्काल प्रभाव से लाईन हाजिर कर दिया गया है और निर्देश दिया है कि परीक्षण के उपरान्त उचित कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं।

### 12 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख लिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु पढ़ी गयीं-

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की नियुक्तियों में स्नातक डिग्री अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आवेदन स्वीकार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री राजकुमार टुकराल उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न नगरों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे कब्जाधारकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड पट्टा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री मनोज रावत उत्तराखण्ड प्रदेश में दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन संचालन हेतु जी0ए0ओ0यू0एल0टी0 को दो महत्वपूर्ण रूटों पर परमिट न दिये जाने के सम्बन्ध में।  
(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे। )
4. श्री प्रदीप बत्रा उत्तराखण्ड राज्य में छात्रवृत्ति के सत्यापन का समय निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।  
(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे। )
5. श्री यतीश्वरानन्द विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल नष्ट किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।  
(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे। )
6. श्री गणेश जोशी मसूरी में फायर स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री हरबंस कपूर देहरादून नगर निगम क्षेत्र नेहरूपुरम कांवली रोड में स्थापित पशु चिकित्सालय में प्रतिदिन पालतू पशुओं की भीड़ जमा होने से क्षेत्रवासियों को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2018 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सप्तदश वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के अधीन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2016-2017) (ए0टी0आर0सहित) सदन के पटल पर रखा।

**सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-**

(1) न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तीसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तैतीसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड सेवा निवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का चौतीसवां अधिनियम बन गया।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा "विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सुवाखोली-भवान-नगुण मोटर मार्ग पर भवान से गंवाणा तक मोटर सेतुओं सहित मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी गवाणा, पो0 भवान जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री हरबंस कपूर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा "विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत एम0डी0डी0ए0 नेहरूपुरम्, कांवली रोड़, आवासीय कालोनी, देहरादून से राजकीय पशु चिकित्सा केन्द्र अन्यत्र क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री अजय सेठी, निवासी

एम/48, नेहरूपुरम्, कांवली रोड़, जिला देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गयी।

माननीय सदस्य श्री नवीन चन्द्र दुमका ने विशेषाधिकार हनन पर उनके द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना पर विनिश्चय दिये जाने का अनुरोध किया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है।

दिनांक 08 जून, 2017 प्रथम गुरुवार को श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर में संशोधन हेतु शिक्षा मंत्री ने शोधन वक्तव्य दिया। माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने पूरक प्रश्न पूछा। शिक्षा मंत्री के उत्तर के पश्चात प्रश्न उत्तरित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

आयुष शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

आयुष शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

**दिसम्बर, 2018**

**विधायी कार्य-**

उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2018-19 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2018 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

**06 (गुरुवार)**

**1. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण:-**

- (1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना "इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।"
- (2) श्री देशराज कर्णवाल "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय।"
- (3) श्री गोपाल सिंह रावत "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सुआखोली -भवान-नगुण मोटरमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने

हेतु प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय”।

(4) श्री प्रीतम सिंह पंवार “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय”।

(5) श्री धन सिंह नेगी “यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये”।

2. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया “बाल गंगा विकास खण्ड” बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।”

3. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।”

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियों की जाय”।

5. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय”।

6. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय”।

7. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन

भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय” ।

8. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय” ।

9. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु “राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।”

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।”

11. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।”

12. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय” ।

### 13. निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-

(1) श्रीमती ममता राकेश, “यह सदन सरकार प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर “डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।”

(2) श्री देशराज कर्णवाल, “यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।”

(3) श्री प्रीतम सिंह पंवार “यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय” ।

14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।”

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।”

16. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।”

17 श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।”

18. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।”

19. निम्नलिखित नियम-54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण-

श्री देशराज कर्णवाल, “यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत “इरशाद हुसैन” आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।”

( 30 मिनट )

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी:-

“प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।”( 30 मिनट )

21. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी:-

“प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।”( 30 मिनट )

22. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारी:-( 1 घण्टा )

**“सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)”**

**12 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा ने मा0 अध्यक्ष से अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति देने का आग्रह किया। मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने भी मा0 सदस्य श्री कैड़ा की याचिका लिये जाने का अनुरोध किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे अनुमति दे रहे हैं परन्तु यह परम्परा न बनाई जाये।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत धारी ब्लाक के धारी से कौल धानाचुली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में” श्री लाल सिंह पुत्र श्री पान सिंह ग्राम कौल पो0 धारी जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक मोटर मार्ग जो स्यूडा से कौन्ता-हरीशताल को टैण्डर के बाद भी कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में” श्री केशव दत्त रूवाली पुत्र श्री ईश्वर दत्त रूवाली ग्राम व पो0 हरीशताल जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक के पतलोट डिग्री कालेज भवन बनाने के सम्बन्ध में” श्री रघुवर सिंह मटियाली पुत्र श्री वीर सिंह ग्राम ल्वाड़ पो0 हरीशताल जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

मा0 सदस्य श्री सुरेश राठौर को भी श्री अध्यक्ष द्वारा याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत पथरी पावर हाउस बहादुराबाद से आगे नहर के किनारे की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में” श्री रणधीर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर ग्राम साईधाम कालोनी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर खुर्द में में सड़क से श्मशान घाट तक सड़क का नव निर्माण एवं नाले पर स्थित मुख्य पुलिया का चौड़ीकरण कार्य के सम्बन्ध में” श्री लाल सिंह, पुत्र श्री मोल्हड सिंह ग्राम जमालपुर खुर्द, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम अलावलपुर में स्वजल विभाग से निर्मित पानी की टंकी संचालित न होने के सम्बन्ध में” श्री सुशील, पुत्र श्री काबूल ग्राम अलावलपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा, श्री प्रीतम सिंह, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान, हाजी



फुरकान अहमद, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री पूरन सिंह फर्त्याल की कुल छः सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वे उनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा, श्री प्रीतम सिंह, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान, हाजी फुरकान अहमद तथा श्रीमती ममता राकेश की सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों/आयोगों/निगमों/परियोजनाओं आदि में लम्बे समय से कार्यरत उपनल कर्मियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा, श्री प्रीतम सिंह, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान, हाजी फुरकान अहमद तथा श्रीमती ममता राकेश का नाम नियम-58 के अन्तर्गत उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने के लिए पुकारा गया परन्तु मा० सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“जनपद देहरादून अवस्थित जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे जाने का संकल्प भारत सरकार को भेजा जाय।”

संकल्प स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा० सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना जो प्रदेश के नौजवानो द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्थापित सोलर पावर प्लान्ट में उत्पादित ऊर्जा को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय न किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा मा० सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौर्याल की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत बास्ती में आयोजित विवाह समारोह में दूषित भोजन ग्रहण करने से बीमार हुए लगभग 350 व्यक्तियों एवं 04 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना के कारणों की सी०बी०आई० जाँच कराये जाने तथा प्रभावितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

सदन की कार्यवाही 01:00 बजे अगले दिन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र  
सचिव,  
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल  
अध्यक्ष,  
विधान सभा।